प्रकरण संख्या 17/2019 डुंगा उर्फ डूंगरसिंह व अन्य बनाम रमेशसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.05.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मानावतों का गुड़ा तहसील गढ़बोर, जिला राजसमंद मे जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 27 किता 04 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा एवं खाता संख्या 107 किता 35 रकबा 20 बीघा 04 बिस्वांसी भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की कृषि आराजियात स्थित है जो कब्जे काश्त चली आ रही हैं, लेकिन राजस्व रेकॉर्ड में संयुक्त स्वामित्व की दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से की भूमि पर कब्जा कर किसी अन्य को विक्रय करना चाहते हैं। भूमि राजस्व रेकॉर्ड मे संयुक्त रूप से दर्ज होने से काश्त करने में कठिनाई होती हैं एवं प्रतिवादीगण जबरन शक्ति के बल पर वादीगण के हिस्से की भूमि पर कब्जा कर नुकसान पहुचाते हैं। वादीगण अपने हिस्से की भूमि को स्वतंत्र रूप से दर्ज करवाना चाहते हैं, मौके पर आराजी विभक्त होकर अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं लेकिन भूमि काश्त उपयोग, उपज के आधार पर विभक्त नहीं होने से आये दिन अड़चन पैदा होती हैं, प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर विक्रय हस्तान्तरण व अन्य प्रकार से मुन्तिकल करने को तत्पर हैं, जिससे उन्हें जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना नितान्त आवश्यक हैं। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नहीं दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात का वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया हैं कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजियात का विधिक विभाजन बाई मीट्स एण्ड बांउडस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03–05–2018 से	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:22:06 IST
Reason: SelfAttested

	वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा दिनांक 06–05–2019 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता बजंरग लाल शर्मा एवं ओमप्रकाश डांगी उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अरूण व्यास उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी माह फरवरी 2019 में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आकर नाप कर विभाजन करना चाहा तब हुई। तदुपरान्त अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से दिनांक 19–03–2019 को नकल प्राप्त कर अपने अधिवक्ता लालसिंह परमार को कार्यवाही हेतु दी। उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं कर नकल पुनः 03–05–2019 को अपीलान्ट को लौटा दी। उसके पश्चात अपीलान्ट द्वारा अन्य अधिवक्ता से सम्पर्क कर दिनांक 06–05–2019 को अपील प्रस्तुत की। जानबूझ कर कोई विलम्ब नही किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा अपील अन्दर अवधि शुमार फरमाई जावें। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण पर गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने गुणावगुण पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारो की बिना सहमति से वाद कैम्प मे रखकर अपीलान्ट को बिना सुन एवं बिना तामील करायें केवल वादी की उपस्थिति मे डिक्री जारी कर दी जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपास्त योग्य है, जिससे अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। लोक अदालत ने दोनो पक्षों की सहमति से ही निर्णय पारित किया जाता है, जबकि अपीलान्ट ने कोई स[illegible]ही दी है। अतः अपील	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:22:06 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावें तथा पत्रावली विधिक प्रावधानों के तहत विधिवत सुनवाई कर निर्णय करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय हेतु प्रतिपेषित किया जावें।

अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुये बताया कि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार हि विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09–03–2018 अनुसार पत्रावली में दिनांक 30–04–2018 की तारीख पेशी नियत की गई किन्तु उक्त दिनांक की कोई आदेशिका नहीं लिखी जाकर दिनांक 03–05–2018 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत मे रखकर सिर्फ वादी की उपस्थिति मे प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जबकि विधि अनुसार राजस्व लोक अदालतो में दोनो पक्षकारों की सहमति से ही निर्णय किये जाने का प्रावधान है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 23/2017 में पारित निर्णय दिनांक 03–05–2018 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारों को विधिवत् सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर देकर साक्ष्य सबूतो के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21–07–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 26–05–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:22:06 IST
Reason: SelfAttested